डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
जानकीपुरम विस्तार सेक्टर-11, सीतापुर रोड, लखनऊ

पत्रांकः ए0के0टी0यू/कुस0का0/एसईई/2018/236 दिनांकः 15/03/2018

सूचना

विषयः राज्य प्रवेश परीक्षा–2018 के विवरण पुस्तिका में संशोधन के सम्बन्ध में।

डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित राज्य प्रवेश परीक्षा–2018 में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों को सूचित करना है कि राज्य प्रवेश परीक्षा–2018 में विवरण पुस्तिका के बिन्दु संख्या 23 में एस.सी./एस.टी. छात्रों के लिये फीस जमा करने की व्यवस्था के सन्दर्भ में समाज कल्याण निदेशक के पत्र संख्या सी–3602 स0क0/शिक्षा–अ/3/43/लखनऊ 2017/2018 दिनांक 05 अक्टूबर 2017 के द्वारा सूचित किया गया है (छायाप्रति संलग्न) कि वर्ष 2014–15 में राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त प्रमुख सचिव समाज कल्याण उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 12/1655/26–3–2014–4(358)/07–टी0सी0–2 दिनांक 20–09–2014 द्वारा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली प्रख्यापित की गई है । नियमावली के नियम –12 उपनियम (i) में व्यवस्था है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में अनुमोदित पाठ्यक्रम में अनुमन्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष 40 प्रतिशत सीमा तक ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति छात्रों को निः शुल्क प्रवेश की अनुमन्यता की गई है। यह बाध्यकारी व्यवस्था नही है। शिक्षण संस्थाएं किसी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को निः शुल्क प्रवेश देने के लिए बाध्य नही है। शिक्षण संस्थाएं अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर निः शुल्क प्रवेश दे सकती है।

15/3/18
(समन्वयक)

प्रतिलिपिः– कुल सचिव डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ।

(समन्वयक)

Office Latter. Docx2

Scanned by CamScanner

ई0मेल0 / स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलपति,
डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम,
प्राविधिक विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

संख्या C-3602स0क0 / शिक्षा–अ / 3 / 43 / लखनऊ 2017–18 दिनांक 05अक्टूबर 2017

विषय– दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में दिनांक 05–10–2017 को प्रकाशित " एक लाख से ज्यादा छात्रों की परीक्षा फंसी " के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में दिनांक 05–10–2017 को प्रकाशित " एक लाख से ज्यादा छात्रों की परीक्षा फंसी " का संदर्भ लेने का कष्ट करें। समाचार पत्र में अध्यक्ष एवं महासचिव, यू0पी0 प्राईवेट कालेज एसोसिएशन के स्टेट्मेंट के साथ–साथ आपका स्टेटमेंट भी प्रकाशित किया गया है।

समाचार पत्र में प्रकाशित है कि इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कालेजों के एक लाख से ज्यादा छात्रों के आगामी सेमेस्टर परीक्षा में शामिल होने पर संकट खड़ा हो गया है। यह सभी छात्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं। इनके दाखिले जीरो फीस पर हुये हैं। जिसकी प्रतिपूर्ति शासन को करनी है। समाचार पत्र में यह भी प्रकाशित है कि शासन के निर्देशों पर इन छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया गया है। ऐसे में शुल्क न होने की स्थिति में विश्वविद्यालय को भुगतान करने में असमर्थ हैं।

वर्ष 2014–15 में राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरांत प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1655/26–3–2014–4(358)/07–टीसी–2 दिनांक 20–09–2014 द्वारा उ0प्र0 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली प्रख्यापित की गयी है। नियमावली के नियम–12 उपनियम (1) में व्यवस्था है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में अनुमोदित पाठ्यक्रम में अनुमन्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष 40 प्रतिशत

Scanned by CamScanner

सीमा तक ही अनुसूचित जति, अनुसूचित जनजाति छात्रों को निःशुल्क प्रवेश की अनुमन्यता की गयी है। यह बाध्यकारी व्यवस्था नहीं है। शिक्षण संस्थाएं किसी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को निःशुल्क प्रवेश देने के लिये बाध्य नहीं है। शिक्षण संस्थाएं अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर निःशुल्क प्रवेश दे सकती हैं।

आप अवगत हैं कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की सम्पूर्ण व्यवस्था शतप्रतिशत आनलाइन है। प्रत्येक वर्ष दिनाक 01 जून से शिक्षण संस्थाओं का नाम/पाठ्यक्रम का नाम/शुल्क/स्वीकृत सीट आदि को डिजिटल सिग्नेचर से लाक करने की व्यवस्था प्रारम्भ होती हैं दिनांक 01 जुलाई से छात्रों के स्तर से आनलाइन आवेदन पत्र भरा जाता है। सम्पूर्ण प्रकिया शासन द्वारा निर्धारित समयसारिणी/नियमावली के अन्तर्गत एन0आई0सी0 व पी0एफ0एम0एस0 के सहयोग से की जाती है, जिसमें विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलिएटिंग बाडी का अहम दायित्व होता है। सम्पूर्ण प्रक्रिया के उपरांत छात्रों के आवेदन को स्क्रूटनी के उपरांत सही डाटा वाले पात्र छात्रों को प्रतिवर्ष माह फरवरी/मार्च में छात्रों के बैंक खातों में धनराशि अंतरित की जाती है, जिसमें परीक्षा शुल्क की धनराशि भी सम्मिलित होती है।

समाचार पत्र में शिक्षण संस्थाओं के एसोसिएशन के पदाधिकारियों का यह कथन कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को निःशुल्क/जीरो फीस पर प्रवेश किया गया है, यह उक्त नियमावली की व्यवस्थानुसार विपरीत है। शिक्षण संस्थांए सम्बन्धित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों से पाठ्यक्रम में निर्धारित शिक्षण/परीक्षा शुल्क वसूल कर लेनी चाहिए। शतप्रशित निःशुल्क प्रवेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार की कोई भी व्यवस्था/नियम नहीं है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को जीरो फीस पर प्रवेश दिया जाना शिक्षण संस्थाओं द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से किया गया है। इसके लिये राज्य सरकार स्तर से कोई बाध्यकारी निर्देश नहीं हैं।

समाचार पत्र के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से दिसम्बर माह में सेमेस्टर परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। संस्थाओं के अनुसार पिछले सत्र में दाखिला लेने वाले छात्रों के शुल्क की प्रतिपूर्ति शासन से अभी तक प्राप्त न हो पाने के कारण वर्तमान सत्र में छात्रों के परीक्षा शुल्क जमा करने में कठिनाई आ रही है। इस सम्बन्ध में उक्त नियमावली के नियम 12 में स्पष्ट है कि " जिन संस्थानों में अध्ययरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों की विगत वर्षों की दशमोत्तर अनुरक्षण भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं हुआ है

Scanned by CamScanner